भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2589

16 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय- पश्चिम बंगाल में पीएम-किसान योजना

2589. सुश्री सयानी घोषः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा पीएम-किसान योजना के अंतर्गत पात्र किसानों की सत्यापित सूची प्रस्तुत करने के बावजूद केन्द्र सरकार ने कई किस्तों के लिए धनराशि जारी नहीं की है;

(ख) पश्चिम बंगाल में पात्र लाभार्थियों को पीएम-किसान निधि के वितरण की वर्तमान स्थिति क्या है और उन किसानों की कुल संख्या कितनी है जिन्हें किस्तें मिल चुकी हैं और जिनके आवेदन अभी भी लंबित हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस बात की जानकारी है कि पीएम-किसान की किस्तें जारी न होने के कारण राज्य सरकार को 5,000 रुपये वार्षिक की धनराशि से किसान सहायता योजना और मुफ्त फसल बीमा जैसी वैकल्पिक कल्याणकारी पहल शुरू करने के लिए बाध्य होना पड़ा; और

(घ) क्या सरकार ने राज्य में छोटे और सीमांत किसानों को समय पर आर्थिक मदद मिलने में विलंब के कारण होने वाली मुश्किलों पर ध्यान दिया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (घ) पीएम-किसान योजना एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जिसे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा फरवरी 2019 में कृषि योग्य भूमिधारक किसानों की वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु शुरू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से किसानों के आधार से जुड़े बैंक खातों में तीन समान किस्तों में प्रति वर्ष 6,000 रुपये का वित्तीय लाभ अंतरित किया जाता है। पीएम-किसान योजना के अंतर्गत, योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कृषि योग्य भूमिधारण प्राथमिक पात्रता मानदंड है, जो कुछ उच्च आर्थिक स्थिति से संबंधित अपवर्जन मानदंडों के अधीन है।

किसान-केंद्रित डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर ने यह सुनिश्चित किया है कि इस योजना का लाभ देश भर के सभी किसानों तक बिना किसी मध्यस्थ की भागीदारी के पहुँचे। लाभार्थियों के पंजीकरण और सत्यापन में पूर्ण पारदर्शिता बनाए रखते हुए, भारत सरकार ने योजना की शुरुआत से अब तक देशभर में 21 किस्तों में ₹4.09 लाख करोड़ से अधिक की राशि वितरित की है।

पीएम-किसान योजना के तहत, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को पात्र लाभार्थियों की पहचान और सत्यापन करने और लाभों के सफल अंतरण के लिए भू-अभिलेख, आधार को उनके बैंक खातों से जोड़ना और ई-केवाईसी सहित पात्र किसानों का त्रुटि-मुक्त डेटा अपलोड करना अनिवार्य है। योजना के तहत किसानों का पंजीकरण और उनका सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से किसानों का सही और सत्यापित डेटा प्राप्त होते ही, विभाग द्वारा तुरंत लाभ की प्रक्रिया शुरू की जाती है और अगली किस्त में यह राशि जारी कर दी जाती है।

पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 से अपने किसानों के आंकड़े उपलब्ध कराने शुरू कर दिए थे और तब से पश्चिम बंगाल के किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल के किसानों को जारी किए गए लाभों का किस्तवार विवरण अनुबंध में संलग्न है।

अनुबंध

दिनांक 25.11.2025 तक पश्चिम बंगाल के किसानों को जारी किए गए लाभों का किस्तवार विवरण

क्र.सं.	किस्त अवधि	लाभार्थियों की संख्या	राशि (रुपये करोड़ में)
1	दिसंबर 2018 - मार्च 2019	-	-
2	अप्रैल 2019 - जुलाई 2019	-	-
3	अगस्त 2019 - नवंबर 2019	-	-
4	दिसंबर 2019 - मार्च 2020	-	-
5	अप्रैल 2020 - जुलाई 2020	-	-
6	अगस्त 2020 - नवंबर 2020	-	-
7	दिसंबर 2020 - मार्च 2021	-	-
8	अप्रैल 2021 - जुलाई 2021	20,29,757	573.53
9	अगस्त 2021 - नवंबर 2021	35,84,794	980.01
10	दिसंबर 2021 - मार्च 2022	46,29,279	1,074.79
11	अप्रैल 2022 - जुलाई 2022	46,78,486	1,030.14
12	अगस्त 2022 - नवंबर 2022	44,44,154	928.73
13	दिसंबर 2022 - मार्च 2023	42,91,178	881.52
14	अप्रैल 2023 - जुलाई 2023	44,72,183	1,004.21
15	अगस्त 2023 - नवंबर, 2023	39,80,679	909.34
16	दिसंबर, 2023 - मार्च, 2024	44,05,646	1,140.25
17	अप्रैल, 2024 - जुलाई, 2024	44,98,404	964.42
18	अगस्त, 2024 - नवंबर, 2024	45,03,171	931.55
19	दिसंबर, 2024 - मार्च, 2025	46,09,388	1,001.36
20	अप्रैल, 2025 - जुलाई, 2025	44,78,537	942.92
21	अगस्त, 2025 - नवंबर, 2025	44,48,643	889.73

*****